पत्रांक–760 / श0वि0नि0–1213 / अधि0नि0–2008 / 2014

प्रेषक

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

1– समस्त मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम,
उत्तराखण्ड।

2– समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांक 17 जुलाई, 2014

विषयः **राज्य के नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायतों में शासन द्वारा जारी शासनादेशों एवं निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त **विषय**क अवगत कराना है कि शासन एवं निदेशालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि **निकायों** द्वारा टेन्डर प्रक्रिया में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्यूरमेन्ट) नियमावली, 2008 के **प्राविधानों** का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा समय–समय पर शासन द्वारा जारी शास**नादेशों** एवं निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, **जिस**के फलस्वरुप उपरोक्त नियमावली के अनुपालन तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रकरणों में **गम्भीर** अनियमितताएं पाई गई हैं जिसके कारण मा0 न्यायालयों में विभाग को अनावश्यक **रुप से** विधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है।

अतः **उपरोक्त** शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न दिशा–**निर्देश** दिये जाते हैंः–

- उत्तराखण्ड **अधिप्राप्ति** (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 में दिये गये प्राविधानों का समुचित अनुपा**लन सुनिश्चित** किया जाय।
- पालिका अके**न्द्रीयित** सेवा के कार्मिकों **को** केन्द्रीयित सेवा के पदों का कार्यभार बिना शासन की अनु**मति के** न सौंपा जाय।
- निकायों में दैनिक **वेतन** / संविदा पर नियुक्ति न की जाय।
- अकेन्द्रीयित सेवा **के पदों** को आउटसोर्सिंग के आधार पर केवल रिक्त पदों के सापेक्ष ही भरा जाय।
- शासनादेश संख्या–794(1) / IV(2)–श0वि0–10–15(सा0) / 10, दिनांक 30–04–2010 में वर्णित प्राविधानों **के** अन्तर्गत स्थानीय निकाय की भूमि / भवनों को बिना शासन की अनुमति के लीज **पर** न दिया जाय और न ही बिक्रय किया जाय।
- निकायों में आरो**पित** करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाय।
- 13वें वित्त आयोग / राज्य वित्त आयोग एवं अवस्थापना हेतु शासन से निकायों को अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को समय से उपलब्ध करा दिया जाय।
- निकायों में स्थित सम्पत्तियों का पंचवर्षीय कर निर्धारण समय से सुनिश्चित किया जाय।

- निकायों की सीमा के अन्तर्गत नाली एवं नालों की सफाई निरन्तर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2003 का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09–09–2013 के अनुपालन में जारी फेरी तथा सड़क पटरियों पर व्यवसाय (विनियमन एवं प्रबन्धन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दिये गये दिशा–निर्देश दिनांक 21–06–2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- निकायों में प्रत्येक घर से ठोस अपशिष्ठ एकत्रीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली, 2000 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर से जारी दिशा–निर्देशों का प्रभावी अनुपालन किया जाय।
- निकायों में पथ प्रकाश के सभी पोलों पर नम्बर डाला जाय तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु सोडियम लाईट को शनैः शनैः एल0ई0डी0 लाईट के द्वारा बदल दिया जाय।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो इस हेतु सम्बन्धित निकाय के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जायेंगे। कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में तत्काल यथोचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(राधिका झा)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक–तदैवः

प्रतिलिपि 1– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राधिका झा)
निदेशक।